

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.10.2018 द्वारा स0परि0/5824 आशीष सिंह, वर्तमान नियुक्ति जनपद-कानपुर देहात का दिनांक 14.09.2018 से सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण/धारणाधिकार निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के विरुद्ध वर्ष 2007 में थाना-महानगर, लखनऊ में मु0अ0सं0 440/07 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या बी-16 दिनांक 28.06.2008 को मा0न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। श्री सिंह को दिनांक 14.09.2018 से सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण /धारणाधिकार निर्धारित करने हेतु किये गये विचार के समय सम्बन्धित शाखा द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत उक्त अभियोग की जानकारी न दिये जाने के कारण इन्हे सहायक परिचालक पद पर स्थाई /धारणाधिकार निर्धारित कर दिया गया था।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त स0परि0/5824 आशीष सिंह के विरुद्ध उक्त अभियोग पंजीकृत/विचाराधीन न्यायालय होने के फलस्वरूप समसंख्यक आदेश दिनांक 10.10.2018 द्वारा सहायक परिचालक पद पर इनके स्थाईकरण /धारणाधिकार को निरस्त किया जाता है तथा श्री सिंह के विरुद्ध थाना-महानगर, लखनऊ में मु0अ0सं0 440/07 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत/विचाराधीन न्यायालय होने के कारण उ0प्र0पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में स्थाईकरण हेतु निहित प्राविधानों के अनुसार इनका सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण /धारणाधिकार इनके विरुद्ध पंजीकृत उक्त मुकदमें में मा0न्यायालय के पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन स्थगित किया जाता है।

संख्या: सी-197/2014

दिनांक: सितम्बर 10, 2019

dmf
10.9.19

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी(प्रशासन)
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. रेडियो निरीक्षक, कानपुर देहात।
2. रेडियो निरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
3. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हि0आ0पु0 में अंकन हेतु।
4. प्रभारी, सर्वर सेल, उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
5. कार्यालय प्रति।